

प्ररूप आ.क.वि-2	भारतीय आयकर विवरणी [व्यष्टिकों और हि.अ.कु. के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय नहीं है] [कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (कृपया अनुदेश देखे)	निर्धारण वर्ष					
		2	0	2	1	-	2

भाग क- साधारण

साधारण

व्याक्तगत सूचना प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम स्थायी लेखा सं. (पैन)	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	स्थायी लेखा सं. (पैन)
	फ्लैट / द्वार / ब्लाक सं०	परिसर / भवन / गांव का नाम		प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्यक्ति <input type="checkbox"/> हिन्दू अभिभक्त कुटुंब
	मार्ग / गली / डाकघर	जन्म तिथि / गठन / (तिथि / मास / वीं) / /		
	क्षेत्र / अवस्थान	आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)		
	नगर / शहर / जिला	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
		देश		
निवास/कार्यालय का एसटीडी कोड सहित फोन नं०/ मोबाइल नं. १				मोबाइल नं० २
ई मेल पता -१ (स्वयं का)		ई मेल पता -२		

प्रस्तुत पडल करन	(क1)	धारा के अधीन दाखिल (सही का निशान लगाएं) इकूपया अनुदेश देखिए ट	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> १३९(४)- विलंबित, <input type="checkbox"/> १३९(५)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> १२१गघ-उपांतरित विवरणा
		या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में दाखिल	<input type="checkbox"/> 119(2)(JÉ)- विलम्ब को माफ करने के पश्चात्
	(क2)	क्या आप धारा 115 खकग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153BÉE, <input type="checkbox"/> 153MÉ
	(ख)	क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: तभी भरा जाए यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर करना है]	
	(खi)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)
	(खii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)
(खiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)	

(ग)	यदि पुनरीक्षित / चुटि युक्त है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। (तिथि / मास / वर्ष)	/ /	
(घ)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 19गघ के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- सूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।	(यूनिक नंबर) / /	
(ङ)	भारत में निवासीय प्रास्थिति (व्यष्टि के लिए) (लागू विकल्प का चयन करें)	अ. निवासी	
		आ. निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं	
	इ. अनिवासी		
		क्र.स.	
		निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)	
		करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)	
		1	
		2	
		(ii) भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति (पीओआई) होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें - पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)	पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)
	भारत में निवासीय प्रास्थिति(हिंदू अभिभक्त कुटुंब के लिए) (लागू विकल्प का चयन करें)	ई. <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं <input type="checkbox"/> अनिवासी	
(च)	क्या आप धारा 115 ज के अधीन फायदे का दावा करना चाहते हैं (निवासी की दशा में लागू)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें) _

अनुसूची वेतन

वेतन से आय का ब्यौरा

नियोजक का नाम		नियोजक की प्रकृति (टिक) <input checked="" type="checkbox"/> (ड्राप डाउन प्रदान किया जाना)		नियोजक का टैन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)		
नियोजक का पता		नगर / शहर		राज्य		
				पिन कोड / ज़िप कोड		
श्रेतन	1 सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग)				1	
	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1क			
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ख			
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ग			
	(एक से अधिक नियोजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियाँ जोड़े)					
	2 कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)				2	
	3 धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (नोट: यह सुनिश्चित करें कि इसे उपरोक्त (2) में कुल निवल वेतन में शामिल किया गया है)				3	
	4 कुल वेतन (2 - 3)				4	
	5 धारा 16 के अधीन कटौतियाँ (5क + 5ख + 5ग)				5	
	क	धारा 16(क) के अधीन मानक कटौती	5क			
ख	धारा 16(ख) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख				
ग	धारा 16(ग) के अधीन वृत्तिक कर	5ग				
6 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)				6		

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें)

गृह संपत्ति	1 संपत्ति 1 का पता		नगर / शहर		राज्य		पिन कोड / ज़िप कोड		
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)								
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)								
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या.			संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता			
	I								
	II								
	[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] <input type="checkbox"/> (सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/>		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)		किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया नोट देखें)		किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)		
	<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो		I						
	<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में		II						
	<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया								
	क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य				1क			
	ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती				1ख			
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संबद्ध कर				1ग			
	घ	योग (1ख + 1ग)				1घ			
	ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ) - (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)				1ङ			
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)				1च				
छ	1च का 30%				1छ				
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज				1ज				
झ	योग (1छ + 2ज)				1झ				
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया				1ञ				
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)				1ट				
2	संपत्ति 2 का पता		नगर / शहर		राज्य		पिन कोड / ज़िप कोड		

क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)																																							
संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)																																							
सह स्वामी (स्वामियों) का नाम					सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या					संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता																													
I																																							
II																																							
/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया										किराएदार का नाम) यदि किराये पर हो(किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पण देखें)										किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)									
I																																							
II																																							
क										प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)										2क																			
ख										किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती										2ख																			
ग										स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर										2ग																			
घ										योग (2ख + 2ग)										2घ																			
ङ										वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)										2ङ																			
च										स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)										2च																			
छ										1च का 30%										2छ																			
ज										उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज										2ज																			
झ										योग (2छ + 2ज)										2झ																			
ञ										वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया										2ञ																			
ट										गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)										2ट																			
3										आय/शक्ति के जरिए पास यदि कोई हो *										3																			
4										"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/अंक लेवें)										4																			
टिप्पण ▶										इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।																													
टिप्पण ▶										किराएदार का पैन/ आधार संख्या. दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-इख के अधीन काटा जाता है																													
										किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है																													

अनुसूची - गछ

पूँजी अभिलाष

अ	अल्पकालिक पूँजी अभिलाष (अपूँज) (उप-मद 3 और 4 निवासी के लिए लागू नहीं है)									
अल्पकालिक पूँजी अभिलाष	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक ब्यौरे भरें)								
		क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य	का					
			ii	स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii					
			iii	पूँजी अभिलाष के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य [यदि (काii), (का) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो इस अंक को (का) लेंगे अन्यथा (काii) लेंगे।	काiii					
		ख	धारा 48 के अधीन कटौती							
			i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खाi					
			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खाii					
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खाiii					
			iv	कुल (खा + खाii + खाiii)	खाiv					
		ग	अतिशेष (काiii - खाiv)						1ग	
		घ	धारा 54ख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)						1घ	
		ङ	संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाष (1ग - 1घ)						अ1ङ	
		च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)							
			क्र. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड	
		टिप्पण	पैन/ आधार नं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा 194-इक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।							
	2	इकिति शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ II के लिए) के अधीन एस टी टी संदत्त किया गया है								
		क	प्रतिफल का कुल मूल्य			2क				
		ख	धारा 48 के अधीन कटौती							
			i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत			खाi			
			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत			खाii			
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय			खाiii			
			iv	कुल (i + ii + iii)			खाiv			
		ग	अतिशेष (2क - खाiv)			2ग				
		घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अनुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और सूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियां के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)			2घ				
		ङ	साधारण शेयर या म्यूचुअल फंड उन्मुख इक्विटी (संदत्त एस टी टी) (2ग+2घ)			अ2ङ				
	3	अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय प्ररूप एफ2 में नहीं होगा (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)								
		क	अपूँज संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त है			अ3क				
		ख	अपूँज संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त नहीं है			अ3ख				
	4	अनिवासी के लिए - धारा 115कघ के अनुसार च2 द्वारा प्रतिभूतियों (जो अ2 से भिन्न हैं) के विक्रय से								
		क	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।							
	ङ	च2 (जो अ2 से भिन्न हो) द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाष (4ग + 4घ)						अ4ङ		

5		उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से						
क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित व्यौरे दर्ज करें।						
	क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य						
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य						
	ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)				ग		
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य						
	iii	कुल (ग + ii)					क iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटीती						
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत					खi	
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत					खii	
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय					खiii	
iv	कुल (i + ii + iii)					खiv		
ग	अतिशेष (5क iii - खiv)				5ग			
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अनुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति (प्रतिभूति / यूनित) अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनित का लाभार्थ / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियां के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)						5घ	
ङ	उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों पर अपूअ (5ग + 5घ)						अ5ङ	
6		लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि						
क		क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूँजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूँजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं						
क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटीती का दावा किया गया है	क्या नई परिसंपत्तियां अर्जित की गई (हां/नहीं)	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि		
ii	2017-18	54ख		वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूँजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई अधिक राशि			
ख	क से भिन्न लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि							
लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi उ ख)								क6
7		अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे) (क7क+क7ख+क7ग)						अ 7
क	15 प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क 7क		
ख	30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क 7ख		
ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क 7ग		
8		क1-क7 में सम्मिलित एसटीसीजी की रकम, किंतु जो कर से प्रभार्य नहीं है या डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य है						
क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

I	II								
9 आयकर अधिनियम के अधीन कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाष प्रभार्य (क1ड + क2ड + क3क + क3ख + क4ड + क5ड + क6 + क7)									क 9
आ दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष (दीपूअ) (निवासी के लिए उप-मद 5, 6, 7 और 8 लागू नहीं है)									
दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपदा के लिए पृथक ब्यौरे भरें)							
	क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य				का		
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				काii		
		iii	पूंजी अभिलाष के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य यदि (काii), (का) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो अंक (का) या अन्यथा (काii) लेंगे।				काiii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती							
		i	सूचीबद्ध के साथ अर्जन की लागत				खा		
		ii	सूचीबद्ध के साथ सुधार की लागत				खाii		
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय				खाiii		
		iv	कुल (खा + खाii + खाiii)				खाiv		
	ग	अतिशेष (काiii - खाiv)					1ग		
	घ	धारा 54 / 54ख / 54ङग / 54च / 54छख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)					1घ		
	ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष (1ग - 1घ)							आ1ड
	च	कृपया अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)							
		क्र. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन/ आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड	
	टिप्पण	पैन/आधार सं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा 194-झक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।							
2	बंधपत्र और डिबेंचर (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीबद्ध बंधपत्र से भिन्न) के विक्रय से								
क	प्रतिफल का कुल मूल्य					2क			
ख	धारा 48 के अधीन कटौती								
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत				खा			
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत				खाii			
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय				खाiii			
	iv	कुल (खा + खाii + खाiii)				खाiv			
ग	अतिशेष (2क - खाiv)					2ग			
घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)					2घ			
ड	बंधपत्र और डिबेंचर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष (2ग - 2घ)							आ2ड	
3	(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र, जहाँ धारा (1) 112 का परंतुक लागू है (ii) धारा 115कगक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर, के विक्रय से								
क	प्रतिफल का कुल मूल्य					3क			
ख	धारा 48 के अधीन कटौती								
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत				खा			
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत				खाii			
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय				खाiii			
	iv	कुल (खा + खाii + खाiii)				खाiv			
ग	धारा 54ङग / 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)					3ग			
घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)					3घ			
ड	उपर्युक्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष							आ3ड	
4	कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी सदलत किया जाता है की इकाई के विक्रय से								

	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14)	4क		
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	4ख		
	ग	उपर्युक्त आ 4 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4क - 4ख)			ख4चघ
5		अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)			
	क	सूचीबद्ध फायदों के बिना संगणित दीपूँज	5क		
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	5ख		
	ग	शेयर या डिबेंचर पर (5क - 5ख)			आ5ग
6		अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्र या ग्लोबल निवेशपागार रसीद, (iii) धारा 115कघ में निर्दिष्ट च 2 द्वारा प्रतिभूतियां (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न जिसके लिए स्तंभ आ 7 भरा जाना चाहिए।)			
	क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।			
		क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क		
		ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख		
		ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50क के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग		
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
	iii	कुल (ग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती			
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi		
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii		
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii		
	iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv		
	ग	अतिशेष (6क iii - खiv)	6ग		
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	6घ		
	ङ	अनिवासियों की दशा में उपर्युक्त 6 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (6ग - 6घ)			आ 6ङ
7		अनिवासियों के लिए- कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से			
	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी [अनुसूची 115कघ(1)(iii)]	7क		
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	7ख		
	ग	उपर्युक्त आ 7 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (7क - 7ख)			ख7ग
8		अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय से (यदि अध्याय 12क के अधीन विकल्प दें)			
	क	विनिर्दिष्ट आस्तियों (सूचीबद्ध के बिना संगणित) के विक्रय पर दीपूँज	8क		
	ख	धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8ख		
	ग	विनिर्दिष्ट आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूँज (8क - 8ख)			आ 8ङ
	घ	विनिर्दिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर दीपूँज (सूचीबद्ध के बिना संगणित)	8घ		
	ङ	धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8ङ		
	च	विनिर्दिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूँज (8घ - 8ङ)			आ 8च
9		जहां उपर्युक्त आ1 से आ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय से			
	क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।			

क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क	
	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	कख	
	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	कग	
ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	का	
iii	कुल (ग + ii)	का	

ख	धारा 48 के अधीन कटौती		
i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	ख	
ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	ख	
iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	ख	
iv	कुल (ख + ख + ख)	ख	
ग	अतिशेष (9का - ख)	9ग	
घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	9घ	

ङ	उपर्युक्त आ9 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (9ग - 9घ)	आ 9ङ	
---	---------------------------------------------------------------	------	--

10	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि		
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूँजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उक्त वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूँजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं		
	हाँ ; नहीं ; लागू नहीं। (यदि हाँ, तब नीचे ब्यौरे प्रदान करें)		
क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियाँ अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियाँ अर्जित / निर्मित की गई हैं वर्ष जिसमें आस्तियाँ अर्जित / निर्मित की गई हैं पूँजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नहीं राशि
i	2017-18	54 / 54च / 54चख	
ii	2018-19	54ख	

ख	क से भिन्न, दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि		
	दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि (का+का+ख)	ख 10	

11	दीर्घावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (ख11क1+ख11क2 + ख11ख)		
क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	ख11क1	
क2	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	ख11क2	
ख	20 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	ख11ख	

12	एलटीसीजी की राशि ख1-ख2 में शामिल की गई परन्तु कर के लिए प्रभार्य नहीं अथवा डीटीए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य नहीं		
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. ख 1 से ख 11, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	डीटीए की मद	क्या टीआरसी अभिप्रास किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
----------	-----------	--------------------------------------------	-------------------	-------------	-----------------------------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------------

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I									
	II									
13	आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रभाय कुल दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाभ (ख1ड+ख2ड+ख3ड+ख4ड+ख5ग+ख6ड+ख7ग+ख8ग+ख9ग+ख10+ख11+ख12क)									ख13
इ	"पूंजीगत अभिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत प्रभाय आय (क9+ख13) (यदि हानि हो तो ख13 को शून्य के रूप में हो)									इ
ई	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावा की गई कटौती के संबंध में सूचना									
1	धारा 54 / 54ख / 54डग / 54च / 54खख / 115च के अधीन निम्नलिखित ब्यौरे दीजिएं									
क	धारा 54 के अधीन दावा की गई कटौती									
ख	धारा 54ख के अधीन दावा की गई कटौती									
क i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					क i	दिन / मास / वर्ष			
क ii	नए आवासीय घर की लागत					क ii				
क iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख					क iii	दिन / मास / वर्ष			
क iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम					क iv				
क v	दावा की गई कटौती की रकम					क v				
ख i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					ख i	दिन / मास / वर्ष			
ख ii	नई कृषि भूमि की लागत					ख ii				
ख iii	नए कृषि भूमि के क्रय करने की तारीख					ख iii	दिन / मास / वर्ष			
ख iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम					ख iv				
ख v	दावा की गई कटौती की रकम					ख v				
ग	धारा 54डग के अधीन दावा की गई कटौती									
ग i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					ग i	दिन / मास / वर्ष			
ग ii	विनिर्दिष्ट / अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख रुपए से अनधिक)					ग ii				
ग iii	विनिधान की तारीख					ग iii	दिन / मास / वर्ष			
ग iv	दावा की गई कटौती की रकम					ग iv				
घ	धारा 54च के अधीन दावा की गई कटौती									
घ i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					घ i	दिन / मास / वर्ष			
घ ii	नए आवासीय घर की लागत					घ ii				
घ iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख					घ iii	दिन / मास / वर्ष			
घ iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम					घ iv				
घ v	दावा की गई कटौती की रकम					घ v				
ङ	धारा 54खख के अधीन दावा की गई कटौती									
ङ i	मूल आवासीय संपत्ति के अंतरण की तारीख					ङ i	दिन / मास / वर्ष			
ङ ii	सात्र कंपनी का पैना					ङ ii				
ङ iii	सात्र कंपनी के साम्या शेयरों की प्रतिश्रुति के लिए उपयोग की गई रकम					ङ iii				
ङ iv	शेयरों को प्रतिश्रुत करने की तारीख					ङ iv	दिन / मास / वर्ष			
ङ v	सात्र कंपनी द्वारा क्रय किए गए नए संयंत्र और मशीनरी की लागत					ङ v				
ङ vi	संयंत्र और मशीनरी के क्रय करने की तारीख					ङ vi	दिन / मास / वर्ष			
ङ vii	पूंजी अभिलाभ खाते में जमा की गई रकम सम्यक् तारीख से पूर्व रकम					ङ vii				
ङ viii	दावा की गई कटौती की रकम					ङ viii				
च	धारा 115च के अधीन दावा की गई कटौती (अनिवासी भारतीयों के लिए)									
च i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अंतरण की तारीख					च i	दिन / मास / वर्ष			
च ii	नई विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाणपत्र में विनिधान की गई रकम					च ii				
च iii	विनिधान की तारीख					च iii	दिन / मास / वर्ष			
च iv	दावा की गई कटौती की रकम					च iv				
छ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च)					1छ				
उ	चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूंजी हानि का मुजरा									

क्रम सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष का पूंजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरें)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि					दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			सुजराई के पश्चात् चालू वर्ष का अतिशेष पूंजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)	
			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दरें	10%	20%	डीटीएए दरें			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
i	पूंजी हानि जिसका सुजरा किया जाना है (केवल यह → संकित भरें यदि प्रणित अंक नकारात्मक है)			(अ2ड+ अ3क+ अ7क)	अ4ड + अ7ख	(अ1ड+अ3ख+ अ5ड+ अ6+ अ7ग)	अ8(2)	(आ3ड+ आ4ग+ आ6ड+ आ7ग+ आ8ग+ आ11क1+ आ11क2)	(आ1ड+ आ2ड+ आ5ग+ आ8च+ आ9ड+ आ10 + आ11ख)	आ12ब		
ii		15%	(अ2ड+ अ3क+ अ7क)									
iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	30%	अ4ड + अ7ख									
iv		लागू दर	(अ1ड+अ3ख+ अ5ड+ अ6+ अ7ग)									
v		डीटीएए दरें	अ8(2)									
vi		10%	(आ3ड + आ4ग+ आ6ड + आ7ग+ आ8ग + आ11क1 + आ11क2)									
vii	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	20%	(आ1ड+ आ2ड+ आ5ग+ आ8च+ आ9ड+ आ10 + आ11ख)									
viii		डीटीएए दरें	आ12ब									
ix	कुल हानि सुजरा (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)											
x	सुजरा के पश्चात् शेष हानि (i - ix)											
ऊ	प्रोद्भव की जानकारी / पूंजी अभिलाभ की रसीद											
	पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख							15 / 6 तक (i)	16 / 6 से 15 / 9 (ii)	16 / 9 से 15 / 12 (iii)	16 / 12 से 15 / 3 (iii)	16 / 3 से 31 / 3 (iv)
1	15% की दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iii से मूल्य लिखें											

2	30%की दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iv से मूल्य लिखें					
3	लागू दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3v से मूल्य लिखें					
4	10%की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3vii से मूल्य लिखें					
5	20% की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3viii से मूल्य लिखें					
टिप्पण → कृपया इस शीर्ष के अधीन आय को प्रगणित करते समय एसपीआई अनुसूचीमें निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें						

115कव(1)(ख)(iii) परन्तुक		अनिवासियों के लिए-एक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट की बिक्री से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया गया है।													
क्रम सं.	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर/ यूनिट का नाम	शेयर/ यूनिटों की संख्या	प्रति शेयर/ यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	8 एवं 9 के उच्चतर इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घाधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर यूनिट उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य - (4*10)	अंतरण के संबंध में पूर्णत विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) आईटीआर की एलटीसीजी अनुसूची की मद 4(क)	
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)	
1															
2															
3															
4															
पंक्ति जोड़े															
योग															

अनुसूची-अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)				1	
क	लाभांश, सकल				1क	
ख	ब्याज, सकल (खा + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii)				1ख	
	i	बचत बैंक से नीचे	खा			
	ii	निक्षेप (बैंक/पोस्ट आफिस/कापरेटिव) से	खii			
	iii	आयकर प्रतिदाय से	खiii			
	iv	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खiv			
	v	अन्य	खv			
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय				1ग	
घ	अन्य, सकल (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से हुई आय को छोड़कर) स्रोत का उल्लेख करें (घा + घii + घiii + घiv + घv)				1घ	
	i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घा			
	ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii			
	iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii			
	iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv			
	v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv			
ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)				1ङ	
	क्र.सं.	प्रकृति	राशि			
	1	वारिवारिक पेंशन				
	2					
	यथा अपेक्षित पक्तियां जोड़ी जा सकती हैं					
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ एस1 से संबंधित तत्व)				2	
क	लाटरी, क्रास वर्ड, पहेली आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य				2क	
ख	धारा 115खखड. के अधीन प्रभार्य आय (खा + खii + खiii + खiv + खv + खvi)				2ख	
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खा			
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii			
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii			
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv			
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv			
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi			
ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित अधिशेष				2ग	
	क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ		
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)		
घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय, (ग i से ग xviii का योग)				2घ	
	i	अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (i) के अधीन प्रभार्य	घ i			
	ii	सरकार या विदेशी करेंसी ऋणों पर भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज धारा 115 क (1) (क) (ii) के अधीन प्रभार्य	घ ii			

3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)			
	का	व्यय/कटौतियां (पारिवारिक पेंशन से भिन्न मामले में)	3का	
	काii	धारा 57(1)के तहत व्याज व्यय (यदि आय 1क में प्रस्तावित केवल तभी उपलब्ध)	3काii	
	काiii	धारा 57(ii)क के अंतर्गत कटौती (केवल पारिवारिक पेंशन के मामले में)	3काiii	
	ख	अवक्षयण (सभी उपलब्ध यदि आय अनुसूची ओएस की 1ग में प्रस्तुत की गई)	3ख	
	ग	योग	3ग	
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम			4
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ			5
6	[1 (डीटीएए से संबंधित आय कम करने के बाद) - 3 + 4 + 5] सामान्यता लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलएए की A का अंक लें)			6

7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि हो तो 6 को शून्य लिखें)						7
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय						
	क	प्राप्तियां	8क				
	ख	केवल 8 क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन	8ख				
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग				
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ				
	ङ	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्ट करे)				8ङ	
9	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)						9
10	अन्य स्रोतों से आय के प्रोद्भवन या प्राप्तियों के बारे में सूचना						
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
	1	लाभांश आय					
	2	धारा 2 (24) (ix) में निर्दिष्ट लाटरियों, क्रासवर्ड, पहेली, रेस, खेलों, द्यूत, वाजी आदि की जीत के रूप में आय।					
टिप्पण	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें।						

अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन		चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा			
क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृह संपत्ति की हानि का मुजरा	सामान्य लागू दरों से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल हानि (रेस के घोड़ों से हानि से भिन्न) का वर्तमान वर्ष में मुजरा	मुजरे के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3	4=1-2-3
i	हानि, जो मुजरा होगा (इस पंक्ति को भरें यदि प्रगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची गृह संपत्ति का 4)	(अनुसूची अन्य स्रोत का 6)	

ii	वेतन	(अनुसूचीएस वेतन का 6)			
iii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एस जी गृह संपत्ति का 4)			
iv	15% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9ii)			
v	30% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9iii)			
vi	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9iv)			
vii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9v)			
viii	10% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9vi)			
ix	20% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9vii)			
x	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9viii)			
xi	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची ओएस का 6)			
xii	रेस के चोड्रे के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची ओएस का 8ड)			
xiii	कुल अग्रणीत हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)				
xiv	मुजरा करने के पश्चात बाकी हानि (i - xi)				

अनुसूची - अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन

पूर्व वर्षों की अग्रणीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा

क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	अनुसूची - चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात आय	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ii)		
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iii)	(ख यदि गृह संपत्ति हानि है)	
iii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iv)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
iv	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4v)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
v	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vi)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vi	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vii	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
viii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4x)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
x	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xi)		
xi	रेस के चोड्रे के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xii)	(ख यदि घुड़दौड से हानि है)	
xii	अग्रणीत की गई कुल हानि मुजरा (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2xi)			
xiii	मुजरे के पश्चात शेष चालू वर्ष की आय - योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v + 3vi + 3vii + 3viii + 3ix + 3x + 3xi)			

अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन

अनुसूची- अग्रणीत हानि

आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत की जाने वाली हानियों का ब्यौरा

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
	1	2	3	4	5	6
i	2013-14					
ii	2014-15					
iii	2015-16					
iv	2016-17					
v	2017-18					
vi	2018-19					
vii	2019-20					
viii	2020-21					
ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग					
x	अनुसूची अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)			(अनुसूची बीएफएलए का 2ix)
xi	2021-22 (चालू वर्ष की हानियां)		(अनुसूची सीवाईएलए का 2स.ii)	(अनुसूची सीजी के मद ड) (2स+3स+4स+5स)	अनुसूची सीजी की मद ड का (6स+7स+8स)	(अनुसूची ओएस का 8ड, यदि -ve)
xii	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि					

सुझाव को आगे ले जाना

अनुसूची- VI क

अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कटौतियां

कृपया याद रखें कि 01-04-2020 से 31-07-2020 तक की अवधि के लिए निवेश/जमा/भुगतान के संबंध में कटौती पर दुबारा दावा नहीं किया जा सकता, यदि आकलन वर्ष 20-21 में पहले ही आहरित की गई थी।				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
कुल कटौतियां	1 भाग ख - कतिपय संदायों की बाबत कटौती						
	क	80ग		ख	80गग		
	ग	80 गगघ (1)		घ	80 गगघ (1ख)		
	ङ	80 गगघ(2)		च	80घ		
	छ	80घघ		ज	80घघख		
	झ	80ड		ञ	80डड		
	ट	80डडक		ठ	80डडख		
	ड	80छ		ढ	80छछ		
	ण	80छछक		त	80छछग		
	2 भाग ग- कतिपय आयों की बाबत कटौती						
	थ	80थथख		द	80ददख		
	ध	80ननक		न	80ननख		
	प	80प					
	3 अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कुल कटौतियां (क से प का योग)						3

अनुसूची 80छ

धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान									
	आदाता का नाम और पता				आदाता का पैन			दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
								नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
	i										
	ii										
	iii	कुल									
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान									
	आदाता का नाम और पता				आदाता का पैन			दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
								नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
	i										
	ii										
	iii	कुल									
	ग	अर्हता सीमा के अध्याय 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान									
	आदाता का नाम और पता				आदाता का पैन			दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
								नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i											
ii											
iii	कुल										
घ	अर्हता सीमा के अध्याय 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान										
आदाता का नाम और पता				आदाता का पैन			दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	
							नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान		

	i						
	ii						
	iii	कुल					
	ड	कुल दान (कांiii + खiii + गiii + घiii)					

अनुसूची 80 छद्मक

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान के व्यौरे

क्र. सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैन	संदान की रकम				संदान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	नकद संदान की तारीख	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i								
ii								
	कुल संदान							

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर

धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

कुल कर टोटलिया	1	भाग-ख-कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय	1
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन	
	क	क्षीर्ष "ग -कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क
	3	धारा 115जग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2क)	3
4	धारा 115जग के अधीन कर संदेय (3) का 18.5% (यदि 3, 20 लाख रुपए से अधिक है)	4	

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा

धारा 115घ के अधीन कर जमा की संगणना

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ)=(ख3)-(ग)
		सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)		
1	निर्धारण वर्ष 2021-22 (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर					
2	निर्धारण वर्ष 2021-22 (भाग-ख- कुल कर आय का 7) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर					
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें]					
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)					
	i	2013-14				
	ii	2014-15				
	iii	2015-16				
	iv	2016-17				
	v	2017-18				
	vi	2018-19				
	vii	2019-20				
	viii	2020-21				
	ix	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)				
	x	योग				
5	वर्ष के दौरान धारा 115जघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट					5
6	पश्चात्पूर्ति निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल ट					6

अनुसूची-विनिदिष्ट व्यक्ति की आय

विनिदिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय जो धारा 64 के अनुसार निर्धारित की आय में सम्मिलित करने योग्य है

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	संबंध	रकम (रू.)	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित किया गया
1					
2					
3					

अनुसूची-विशेष आय

विशेष दरों पर आयकर से प्रभार्य आय [कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश संख्या 9 (iii) देखिए]

क्रम सं.	सेक्सन	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
1	111-पूर्व वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य का संचयित शेष	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओएस का 2giii)	(अनुसूची ओएस का 2giv)
2	111क अथवा धारा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (उन शेयर पर एसटीसीजी जिन पर एसटीटी भुगतान किया गया)	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बीएफएल का 3iii)	
3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहां एस.टी.टी का संदाय नहीं किया गया है)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बीएफएल का 3iv)	
4	112परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ सूचीकरण के बिना यूनिट पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vi का भाग)	
5	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vi का भाग)	
6	115कग (बंधपत्रों / जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vi का भाग)	
7	115कगक (विनिदिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vi का भाग)	
8	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vi का भाग)	
9	115ड (विनिदिष्ट आस्त पर अनिवासी भारतीय के लिए एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vi का भाग)	
10	112 (अन्य के लिए एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बीएफएल का 3vii)	
11	112क या धारा 115कघ(1)(iii)- परन्तुक (शेयरों या इकाइयों जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है के विक्रय पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vi का भाग)	
12	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एसटीसीजी			(अनुसूची बीएफएल के 3vi का भाग)	
13	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी			(अनुसूची बीएफएल के 3ix का भाग)	
14	115खख (लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओएस का 2क का भाग)	
15	115खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या धारा 69घ के अधीन आय)	<input type="checkbox"/>	60	(अनुसूची ओएस का 2ख)	
16	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओएस का 2घ का भाग)	
17	115खखझ (कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओएस का 2घ का भाग)	
18	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (ई -फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओएस का 2घ का भाग)	
19	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य आय के अन्य स्रोत	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओएस का 2च का भाग)	
20	15% की दर पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बीएफएल के 3iv का भाग)	
21	30% की दर पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बीएफएल के 3v का भाग)	
22	धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vii का भाग)	
23	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएल का 3vii का भाग)	
24	20% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बीएफएल के 3viii का भाग)	

25	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन दिया जाना है)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2ड)	
			कुल		

अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से अप्रभार्य आय)

प्राप्त	1	ब्याज से आय						1	
	2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)				i		
		ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii		
		iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेहित कृषि हानि				iii		
		iv	वर्ष i-iii-iii (के लिए शुद्ध कृषि आय) यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें (2		
		v	यदि किसी वर्ष के लिए कुल कृषि आय पांच लाख से अधिक है, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)						
		क	पिन कोड के साथ जिले का नाम जहां कृषि भूमि अवस्थित है						
		ख	कृषि भूमि का एकड़ में माप						
		ME	क्या कृषि भूमि पट्टे पर स्वामित्वाधीन या धारित है ((ड्राप डाउन उपबंधित करें)						
		PE	क्या कृषि भूमि सिंचित है या वर्षा द्वारा पोषित है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)						
3	अन्य छूट प्राप्त आय (जिसके अंतर्गत अवयस्क बालक की छूट प्राप्त आय भी सम्मिलित है)						3		
4	डीटीएए के अनुसार कर पर अप्रभार्य आय								
	क्रमसं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए की मदे	आय के शीर्ष	क्या टीआरसी प्राप्त किया गया है (हां/नहीं)		
	I								
	II								
	III	कर से अप्रभार्य डीटीएए से कुल आय						4	
5	कर पर अप्रभार्य निकासी आय (पीटीआई अनुसूची)						5		
6	योग (1+2+3+4+5)						6		

अनुसूची पीटीआई

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

क्रम	धारा 115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	निवाल आय/अति (7-8)	ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती, यदि कोई हो					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति									
				ii	पूँजी अभिलाभ									
				क	अल्पकालिक अवधि									
				कां	धारा 111क									
				कांii	अन्य									
				ख	दीर्घकालिक अवधि									
				खां	धारा 112क									
				खांii	धारा 112क के अलावा									
				iii	अन्य खोत									
				क	लाभांश									
				ख	अन्य									
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी									
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन									
				ख	धाराके अधीन									
				ग	धारा.....के अधीन									
				2.				i	गृह संपत्ति					
								ii	पूँजी अभिलाभ					
								क	अल्पकालिक अवधि					
								कां	धारा 111क					
								कांii	अन्य					
ख	दीर्घकालिक अवधि													
खां	धारा 112क													
खांii	धारा 112क के अलावा													
iii	अन्य खोत													
क	लाभांश													
ख	अन्य													
iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी													
क	धारा 10(23चखख) के अधीन													
ख	धाराके अधीन													
ग	धारा.....के अधीन													

ÉÉ] {(ÉhÉ >

इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची एफएसआई

भारत से बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)

क्रम सं.	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	क्रम सं.	आय के शीर्ष	भारत से बाहर से आय (भाग ख ट ाळआई में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में साधारण उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (च) = (ग) या (घ) या (ङ) इनमें से जो भी कम हो	यदि राहत का दावा धारा 90 या 90क के अधीन किया गया है तो डी ट ाळए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
1			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				कुल					
2			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				कुल					
टिप्पण		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।							

अनुसूची टि.आर

भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावा की गई कर राहत का सारांश (निवासी के मामले में उपलब्ध)

1	दावा की गई कर राहत का सारांश				
	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	कुल उपलब्ध कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ङ) का योग)	धारा के अधीन दावा की गई कर राहत (धारा 90, 90क या 91 विनिदिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
		कुल			
2	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डी टीए लागू होता है (धारा 90 / 90क) (1(ङ) योग का भाग)				2
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डी टीए लागू होता है (धारा 91) (1(ङ) योग का भाग)				3
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई थी, का प्रतिदाय/ प्रत्यय विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान किया गया है ? यदि हां, तो नीचे ब्यौरे दें।				4
	क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम	ख	वह निर्धारण वर्ष, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है	हां / नहीं
टिप्पण		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।			

अनुसूची वि.आ.

भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

अ1 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी निक्षेप खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
क्र.सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल व्याज	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ2 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
क्र.सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि व्याज/लामांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ3 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण व्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
क्र.सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
क्र.सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
ख सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	व्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे व्याज से जोड़भूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया व्याज		
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ङ सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।												
क्र.सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम तथा कोड	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो *												
क्र.सं०	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूचा पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है												
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												

टिप्पण ▶

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची-5अ

पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति पत्नी की आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी

पति/पत्नी की नाम					
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्या / आधार संख्या					
	आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां	पति/ पत्नी में रकम का प्रभाजन	(ii) पर आय पर कटौती किया गया टीडीएस	पति या पत्नी द्वारा प्रभाजित टीडीएस
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	गृह संपत्ति				
2	पूँजी लाभ				
3	अन्य स्रोत				
4	कुल				

अनुसूची कठ

वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (यह उस दशा में लागू होगा जहां कुल आय 50 लाख से अधिक हो)

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे	क	स्थायर आस्ति के ब्यौरे			
	क्र. सं.	वर्णन	पता	पिन कोड	रकम (लागत) में रुपए
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	ख	जंगम आस्ति के ब्यौरे			
	क्र. सं.	वर्णन	रकम (लागत) में रुपए		
	(1)	(2)	(3)		
	(i)	आभूषण, सोना-चांदी, आदि			
	(ii)	पुरातत्वीय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कला का कोई कार्य			
	(iii)	यान, क्रीडा-नौका, नौका और वायुयान			
	(iv)	वित्तीय आस्ति	रकम (लागत) में रुपए		
		(क) बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमाराशि भी है)			
		(ख) शेयर और प्रतिभूति			
		(ग) बीमा पालिसी			
	(घ) दिए गए ऋण और अग्रिम				
	(ङ) हाथ में नकदी				
ग	आस्ति के संबंध में दायित्व (क-ख)				

टिप्पण

कृपया इस अनुसूची के भरे जाने के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें।

भाग - ख

भाग ख - कुल आय		कुल आय की संगणना	
1	वेतन (अनुसूची वेतन का 6)	1	
2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृ.सं का 4) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	2	
3	पूँजी अभिलाभ		
	क लघु अवधि		
	i लघु अवधि प्रभार्य @ 15% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9ii)	का	
	ii लघु अवधि प्रभार्य @ 30% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9iii)	काii	
	iii लागू दर पर लघु अवधि प्रभार्य (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9iv)	काiii	
	iv डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9v)	काiv	
	v कुल लघु अवधि (का + काii + काiii + काiv) (शून्य हानि प्रविष्ट करें)	3कv	
	ख दीर्घ अवधि		
	i दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 10% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9vi)	खा	
	ii दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 20% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9vii)	खाii	
	iii डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9 viii)	खाiii	
	iv कुल दीर्घ अवधि (खा + खाii + खाiii) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	3खiv	
	ग कुल पूँजी अभिलाभ (3कv + 3खiv) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	3ग	
4	अन्य स्रोतों से आय		
	क सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची गध का 6) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4क	
	ख प्रभार्य योग्य आय पर विशेष दर पर कर (अनुसूची असो का 2)	4ख	
	ग दौड़ के घोड़े के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलापों से आय (अनुसूची गध का 8) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4ग	
	घ योग (4क + 4ख + 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	4घ	
5	शीर्षवार कुल आय (1+2+3ग+4घ)	5	
6	5 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा. के 2xiii और 3xiii का योग)	6	
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6) (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन + 2 स्तंभ 4 का योग)	7	
8	7 के विरुद्ध मुजरा किए जाने के लिए अग्रणीत की गई हानियां (अनुसूची अग्रणीत हानि समा. का 2xii)	8	
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची अग्रणीत हानि समा. + 2 का 3xiii)	9	
10	धारा 111क, 112, 112क आदि के अधीन आय प्राभार्य के लिए विशेष दर पर कर में 9 सम्मिलित है	10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां (अनुसूची VIक का फ और 9-10 के लिए सीमित)	11	
12	कुल आय (9-11)	12	
13	आय जो 12 में सम्मिलित है और विशेष दरों पर कर से प्राभार्य (अनुसूची सोआ में स्तंभ (झ) का कुल)	13	
14	शुद्ध कृषि आय / दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय (अनुसूची छूट प्राप्त आय का 3)	14	
15	'संकलित आय' (12-13+14) [लागू होगा यदि (12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभार्य न हो, से अधिक हो]	15	
16	अग्रणीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची अग्रणीत हानि का Xi कुल पक्तियां)	16	
17	धारा 115ज ग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एमएमटी का 3)	17	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	क धारा 115 ज ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित झतर कर का 4)	1क	
	ख (क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1ख	
	ग स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क+1ख) 3 पर	1ग	
	घ समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर (1क +1ख +1 ग)		1
2	कुल आय पर संदेय कर		
	क भाग ख-कुल आय के 15 पर सामान्य दरों पर कर	2क	
	ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची विशेष आय का (ii)का कुल)	2ख	
	ग कृषि आय पर छूट [लागू होगा यदि भाग ख कुल आय के (12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्राभार्य न हो, से अधिक हो]	2ग	

	घ	कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख - 2ग)		2घ	
3		धारा 87क के अधीन रिबेट		3	
4		रिबेट के पश्चात् संदेय योग्य कर (2घ - 3)		4	
5		अधिभार	उपातिक राहत से पूर्व परिकल्पित अधिभार	उपातिक राहत के बाद अधिभार	
	i	अनुसूची ध.ज. के 15(ii) के 25%	5i	ik	
	ii	अनुसूची एसआई का 2(ii), 3(ii), 8(ii), 11(ii), 21(ii), 23(ii) का यथा लागू 10% अथवा 15% की दर	5ii	iiik	
	iii	[(4) अनुसूची एसआई का - (16(ii), 2(ii), 3(ii), 8(ii), 11(ii), 21(ii), 23(ii)) ^{1/2}	5iii		
	i	कुल (i + ii + iii)		5i	
6		(3 + 4iv) पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस (3 + 5iv)		6	
7		सकल कर दायित्व (4 + 5iv + 6)		7	
8		कुल कर संदेय (1घ और 7 से कुछ कम)		8	
8क		धारा 17(2)(vi) में संदर्भित 80 आईएसी अनुसूची वेतन में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर		8क	
8ख		धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर		8ख	
9		पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115अघ के अधीन जमा (केवल तभी लागू होगा यदि 7, 1घ से उच्चतम हो) (अनुसूची एएमटी की पंक्ति 5)			
10		धारा 115अघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (8क - 9)			
11		कर राहत			
	क	धारा 89 (कृपया फार्म 10ड प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें)		11	
	ख	धारा 90 या 90क (अनुसूची ट ाळआर का 2)		11	
	ग	धारा 91 (अनुसूची ट ाळआर का 3)		11ग	
	घ	योग (11क + 11ख + 11ग)		11घ	
12		सकल कर दायित्व (10 - 11घ) (यदि नकारात्मक है तो शून्य लिखें)		12	
13		ब्याज और संदेय फीस			
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)		13क	
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)		13ख	
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234 ग)		13ग	
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234घ)		13घ	
	ङ	कुल संदेय ब्याज (13क + 13ख + 13ग + 13घ)		13ङ	
14		संकलित दायित्व (12+ 13ङ)		10	
15		संदत्त कर			
	क	अग्रिम कर (20क के स्तंभ 5 से) टीडीएस		15	
	ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर (20ख के स्तंभ 5 और 20ग के स्तंभ 9 का योग)		15	
	ग	स्रोत पर कर कटौती (20घ के स्तंभ 5 का योग)		15ग	
	घ	स्वनिर्धारण कर (20क के स्तंभ 5 से)		15	
	ङ	संदत्त कुल कर (15क + 15ख + 15ग + 15घ)		15ङ	
16		संदेय कर (यदि 14, 15ङ से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)		16	
17		प्रतिदाय (यदि 15ङ, 14 से अधिक है) (प्रतिदाय, यदि कोई हो, सीधे बैंक खाते में जमा होगा)		17	
18	क	क्या आपका भारत में बैंक खाता है(प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी जिनक भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, नहीं का चयन कर सकते हैं।			हां. अथवा नहीं का चयन करें
बैंक खाता	क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	उस खाते को दर्शाए जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, क्रेडिट कराना चाहेंगे, (प्रतिदाय
	i				
	ii				

<p>नोट: 1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए। 2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय विकरणी का संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।</p>				
<p>यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं।</p>				
<p>ii ख) अनिवासी, जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:</p>				
क्रम सं.	एसडब्ल्यूआईएफटी कोड	बैंक का नाम	देश का स्थान	आईबीएएन
18	<p>डीमैट अकाउंट के ब्यौरे (पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय रखे गए सभी डी मैट अकाउंट बताए जाने हैं)</p>			
क्रम सं.	न्यासी भागीदार			डीमैट अकाउंट नंबर
1				
<p>यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं</p>				
19	<p>क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय i) (भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां) जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है (को हितधारिका स्वामी, हितधारिका या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं) ii) (भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या iii) (भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है?) निवासी के मामले में ही लागू (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें (</p>			
				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

20	<p>अनुसूची-आयकर</p>				
क	<p>आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे</p>				
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (₹.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
iv					

<p>टिप्पण ► भाग ख - टी डीआई की क्रम सं. 15व और 15व में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।</p>					
ख	<p>वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]</p>				
वेतन से स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
ii					
<p>टिप्पण ► कृपया भाग ख-टीडीआई के कॉलम 5 से 11ख का योग भरें</p>					

ग	<p>कटौतीकर्ता द्वारा आय-कर स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे (जारी किए गए प्ररूप 16क या कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्ररूप 16ख / 16ग)</p>											
क्रम सं.	स्वयं या अन्य व्यक्ति से संबंधित जमा टीडीएस (धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी/ नियम 37खक (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति)	अन्य व्यक्ति का पैर/ आधार सं. (यदि टीडीएस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)	कटौती कर्ता का टैन/ किराएदार/क्रेता का पैर/ आधार सं.	आगे लाया गया अदावाकर टीडीएस (बी/एफ)	चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान काटा गया टीडीएस)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर के लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।)	तदनुरूपी रिसीट/ आहरित प्रस्तुत की गई	आगे ले जाए जाने वाला टीडीएस जमा				
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौतीकी गई है	टीडीएस बी/ एफ	स्वयं द्वारा की गई कटौती	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या नियम 37खक के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई कटौती (यदि लागू हों)	स्वयं के द्वारा दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या नियम 37खक के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया दावा (यदि लागू हों)	सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						आय	टीडीएस		आय	टीडीएस	पैर/ आधार सं	

i																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

टिप्पण - कृपया भाग ख - टीटीआई के 15ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें

घ स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)					
SI No	संग्रहकर्ता कर कटीती और संग्रह खाता संख्या	संग्रहकर्ता का नाम	संग्रहित कर	(4) से अधिक दावा की गई रकम	(4) से अधिक रकम, जो पति या पत्नी के पास दावा की गई है, यदि धारा 5क लागू है
				(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i					
ii					
टिप्पण - कृपया भाग ख-ननझ के 11ग में स्तंभ (5) का योग दर्ज करें					

सत्यापन

मैं, _____ पुत्र / पुत्री _____, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं _____ की क्षमता में विवरणी तैयार कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक _____ है। (यदि आबंटित किया गया है) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख _____

यहां हस्ताक्षर करें →

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:					
कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.			कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर	
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम					